<u>भूतपूर्व सैनिक के संबंध में जानकारी</u>

"भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में कम से कम 06 मास की अवधि के लिये लगातार सेवा की हो और जो–

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है ।

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की शैक्षिक योग्यता की अर्हता स्नातक मानी जायेगी जो मैट्रीकुलेट हैं तथा इण्डियन आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

(छः) और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:–

- (1) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,
- (2) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और
- (3) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

(सात) संघ की सशस्त्र सेना में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जो सेवा से सेवा निवृत्त होने पर भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आयेंगे उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए एक साल पहले अनुमति प्रदान की जा सकती है और वे व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक को अनुमन्य सारे लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे, किन्तु उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वे संघ की सशस्त्र सेना में उस अवधि को पूरा नहीं कर लेंगे। अतः ऐसे सैनिक जो अभी सेना में सेवारत हैं तथा जिन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए एक साल पहले यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, वह भी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

<u>टिप्पणी:–</u>

भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।